रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012024-251599
CG-DL-E-25012024-251599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2024/माघ 5, 1945
No. 61] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2024/MAGHA 5, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 68(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध प्रूफ रीडर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में प्रूफ रीडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (प्रूफ़ रीडर), भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) स्तंभ में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति; -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ो वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या।	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रूफ रीडर	2* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500 – 81100/-रू.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (i) अ.जा/अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए 05 वर्ष; (ii) ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष; (iii) पीडब्ल्यूडी (अनारक्षित) अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष; (iv) पीडब्ल्यूडी (ओबीसी) अभ्यर्थी के लिए 13 वर्ष; (v) पीडब्ल्यूडी (अ.जा./अ.ज.जा.) अभ्यर्थी के लिए 15 वर्ष; (vi) भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) अभ्यर्थी के लिए अंतिम तारीख पर वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के पश्चात् 03 वर्ष; (vii) किसी विदेशी देश के साथ या किसी अशांत क्षेत्र में शत्रुता के दौरान ऑपरेशन में अक्षम हो गए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिए गए रक्षा कार्मिक के लिए 03 वर्ष; (viii) किसी विदेशी देश के साथ या किसी अशांत क्षेत्र में शत्रुता के दौरान ऑपरेशन में अक्षम हो गए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिए गए रक्षा कार्मिक के लिए 08 वर्ष (अ.जा./अ.ज.जा.) तक शिथिल की जा सकती है।	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान से स्नातक की डिग्री या समतुल्य। वांछनीय: (i) प्रूफ़ सुधार का अनुभव; (ii) हिंदी पढ़ने और लिखने की क्षमता। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल ओर स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।			

भर्ती की पद्धतिः, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- (1.) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - अध्यक्ष; (2.) कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य; (3.) कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फ़ा. सं. 01/06/2023-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964 in so far as they relate to the post of Proof reader, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Proof Reader in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: -

1. **Short title and commencement –** (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India (Proof Reader), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. -** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax .–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Proof Reader.	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500 – 81100/-).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable up to (i) 05 years for SC/ST candidates; (ii) 03 years for OBC Candidates; (iii) 10 years for PwD (Unreserved) candidate; (iv) 13 years for PwD (OBC) candidate; (v) 15 years for PwD (SC/ST) candidate; (vi) 03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date for Ex-Serviceman (ESM) candidate; (vii) 03	Essential: Bachelor degree from a recognised University or equivalent with Botany as one of the subject. Desirable: (i) Experience of proof correction; (ii) Ability to read and write Hindi. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of	Not applicable.	Two years.

years for Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as consequence thereof; (viii) 08 years for Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence there of (SC/ST) (Relaxable for government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).	the candidates otherwise well qualified.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee, (for considering confirmation) consisting of:- (1.) Director, Botanical Survey of India, Kolkata – Chairman; (2.) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; (3.) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	Not applicable.

[F. No. 01/06/2023-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA